## केंद्रीय विद्यालय क्रमांक २ बी.एस.एफ KENDRIYA VIDYALAYA NO 2 B.S.F. INDORE



पताः गार्शानगर राह ।चेञासन एकरा इदार ४५२००५

Address: Gandhi Nagar Road Bijasan Tekri Indore 452005 District: Indore Tel:0731-2620447





Website: no2indore.kvs.ac.in, Email: kv2indore@yahoo.co.in, ppi.indoreno2bsf@kvs.gov.in फा.सं.03/14/केविनं.2इंदौर/समिति / 350

दिनांक- 03.11.2023

## संशोधित कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER (CORRIGENDUM)

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-1 दिनांक 03.06.2015 एवं आदेश क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-I/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के अनुपालन में दिनांक 09.12.2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" की धारा-4(2) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय क्र.2 बीएसएफ इंदौर कार्यालय के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु "आंतरिक शिकायत समिति" का निम्नानुसार गठन किया गया था।

अध्यक्ष, विद्यालय प्रवंधन समिति, केंद्रीय विद्यालय क्र.2 बीएसएफ इंदौर की अनुशंसा पर निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है-

In compliance with the Letter No. F.11-55/2000-KVS(Vigilance)/Part-1 dated 03.06.2015 and Order No. F.11-55/2000-KVS(Vigilance)/Part-I/1122-25 dated 05.03.2019 of Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) New Delhi in compliance with the provisions and guidelines contained under section-4(2) of "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013" from 09.12.2013 "Internal Complaints Committee" has been constituted as follows for settlement of complaints received in the office of BS Kendriya Vidyalaya No.2 BSF Indore.

On the recommendation of the Chariman, VMC, KV No.2 BSF Indore the committee is reconstituted as follows-

	•		()
क्र./	समिति में धारित पद/	सदस्यों के नाम एवं पदनाम सहित।	कार्यक्षेत्र/
S.No.	Post held in Committee/	Name of Members along with designation	Jurisdiction
1	पीठासीन अधिकारी /	श्रीमती रानी डांगे, सहायक आयुक्त, केंद्रीय	केवी नंबर 2 बीएसएफ इंदौर
	Presiding Officer	विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल /	में पीजीटी स्तर तक के
		Mrs. Rani Dange, Asstt. Commissioner, KVS RO Bhopal	अधिकारियों के खिलाफ
2	महिला सदस्य / Female	श्रीमती कीर्ति जोशी, पीजीटी (रसायनशास्त्र),	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
	Member	के.वि. क्र.२ इंदौर /	की शिकायतों की जांच
		Mrs. Keerti Joshi, PGT (Chemistry), KV No.2 Indore	करना। To inquire into the
3	पुरुष सदस्य / Male Member	श्री चंद्रशेखर राठौर, प्रधानाध्यापक, के.वि.	complaints of sexual harassment at work
		क्र.२ इंदौर /	place against the officials
		Mr. Chandra Shekhar Rathor, HM, KV No.2 Indore	at KV No.2 BSF Indore upto the level of PGT.
4	एनजीओ सदस्य / NGO	श्रीमती माया पाण्डेय, अध्यक्ष,	upto the level of PG1.
	Member	बीबीएमडब्लूएस, इंदौर /	
		Mrs. Maya Pandey, Chairman, BBMWS, Indore	
5	अध्यक्ष, वि.प्र.स. द्वारा	श्री तनुज दीक्षित, अधिवक्ता, इंदौर उच्च	
	अनुशंसित सदस्य / Member	न्यायालय / Mr. Tanuj Dixit, Advocate,	
	recommended by the Chairman VMC	Indore High Court	

टिप्पणी/Note:- 1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।/

The tenure of the Presiding Officer and the members of the Committee shall not exceed three years from the date of issue of the order.

2. "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्वित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जाँच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये। /

In order to ensure effective implementation of the "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013", the Committee shall investigate complaints of the nature defined in the Act strictly in the prescribed chronology and procedure issued by the Government of India from time to time. To be done as per the guidelines.

केन्द्रीय विद्याक्षा बि2 क्रांट्य विद्याक्षा प्रमान् इंट्रीस् /2 KV NO:2 BSF INDORE

## वितरणः-

- 1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य। / The Presiding Officer and all the members of the committee.
- 2. उपायुक्त, के.वि.सं. क्षे.का. भोपाल। / The Deputy Commissioner, KVS RO Bhopal
- 3. प्रशासनिक अधिकारी, के.वि.सं. क्षे.का. भोपाल।/ Administrative Officer, KVS RO Bhopal
- 4. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, के.वि. क्र.२ बीएसएफ इंदौर / Chairman, VMC, KV No.2 BSF